184
5-10

संख्या– /XXVIII-4-2018-61/2012

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 9 जनवरी, 2018

विषय – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0एस0बी0वाई0/2017-18/State Govt. Corspd./06(C)/410, दिनांक 08.12.2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित करने के लिये बीमा कम्पनियों को प्रीमियम देने के लिए केन्द्रांश की धनराशि रू0 9,14,79,258 (रू0 नौ करोड़ चौदाह लाख उन्हत्तर हज़ार दो सौ अट्ठावन मात्र) के सापेक्ष रू0 6,50,98,978.00 (रू0 छः करोड़ पचास लाख अठानवे हजार नौ सौ अठहत्तर मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण/व्यय सम्बन्धित वित्तीय हस्त–पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैनुअल के अन्तर्गत एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. यह सुनिश्चित किया जाय कि बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया व्यय अनुबन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार है।
3. धनराशि का आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गत् वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं जनपदों के लाभार्थियों के स्वास्थ्य बीमा पर किया जाय जिसके लिये बीमा कम्पनियों के साथ अनुबन्ध निष्पादित हुआ है।
5. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथा–आवश्यकतानुसार मितव्ययता को ध्यान में रखकर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग करना सुनिश्चि किया जाय। यदि उक्त तिथि को कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो वह नियमानुसार शासन को समर्पित की जायेगी।
7. उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी

E:\back up ssivid\Kusum-2018\RSBY\RSBY G.O.doc

कोई अनियमितता पाई जाती है, तो इस हेतु महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 में वर्णित लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0106–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : अलॉटमेंट ऑई डी।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या– 07 (1)/XXVIII-4-2018-61/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, कोषागार, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. नोडल अधिकारी, आर.एस.बी.वाई, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/चिकित्सा अनुभाग–5/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।